

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

- आदेश :-

प्राथी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बनेडिया  
व भूअनि बनेडिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा /नायब  
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दीली तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 57 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं - जंगाराम जिरदनलाल जाट

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>दीली</u>	<u>57</u>	<u>M.A.G.B, शाज,</u> <u>दरिया</u>	<u>R-G.B शाज,</u> <u>दरिया</u>

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा  
दिनांक - 3/10/24

क्रमांक - राजसं/2024/79  
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्राथी श्री बनेडिया का सूचनार्थ।
3. शक्ति पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा